न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 68 / 2024

अनवान : –

1. विकास पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. गोपीराम पुत्र तखुराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. सावित्री पुत्री तखुराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
3. हरिसिंह पुत्र तखुराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
4. मोधुराम पुत्र तखुराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
5. भूपसिंह पुत्र तखुराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
6. किशनलाल उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र तखुराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
7. शिव कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
8. सरस्वती पुत्री तखुराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
9. प्रिति पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
11. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 17/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 12 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 164 / 136 के प. न. 387 / 433 के मु.न. 93 के किला नं. 16 व 17 की 0.5060 हैक्टर भूमि, 24 व 25 की 0.5060 हेक्टर भूमि प.. 388 / 430 मु.न. 50 के किला नं. 16 ता 18 की 0.7590 हैक्टर भूमि किला नं. 23 ता 25 की 0.7590 हैक्टर भूमि प.न. 388 / 431 मु.न. 65 के किला नं. 3 / 1 की 0.0380 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता, किला नं. 3 / 2 की 0.2150 हैक्टर भूमि, 4 / 1 की 0.0380 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता, किला नं. 4 / 2 की 0.2150 हैक्टर भूमि, 5 / 1 की 0.0380 हैक्टर भूमि गै.मु. रास्ता, किला नं. 5 / 2 की 0.2150 हैक्टर भूमि, किला नं. 6 ता 8 की 0.7590 हैक्टर भूमि 13 ता 18 की 1. 5180 हैक्टर भूमि किला नं. 23 ता 25 की 0.7590 हैक्टर भूमि, प.न. 388 / 432 मु.न. 77 के किला नं. 1 ता 25 की 6.3250 हैक्टर भूमि एंव प.न 388 / 433 मु.न. 92 के किला नं. 1 ता 14 की 3.5420 हैक्टर भूमि 18 ता 23 की 1. 0120 हैक्टर भूमि, प.न. 389 / 430 मु.न. 51 के किला नं. 19 ता 22 की 1.0120 हैक्टर भूमि प.न. 389 / 431 मु.न. 64 के किला नं. 1 / 1 की 0.0380 हैक्टर भूमि गै. मु. रास्ता, किला नं. 1 / 2 की 0.2150 हैक्टर भूमि, 2 / 1 की 0.0380 हैक्टर भूमि गै. मु. रास्ता, किला नं. 2 / 2 की 0.2150 हैक्टर भूमि, किला नं. 9 ता 12 की 1.0120 हैक्टर भूमि किला नं. 19 ता 21 की 1.0120 हैक्टर भूमि, कुल [illegible] की 21. 2520 हैक्टर भूमि स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:57:39 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खान दान की जद्दी जायदाद भूमि है जो सायल के दादा तखुराम पुत्र वीरभान की नातेड़ कदी भूमि है जिसमें सायल व गैरसायल सं. 9 का गैरसायल सं. 1 के साथ बाई बर्थ राईट है अर्थात एक दुसरे के कोपानसर है। उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि में गैरसायल सं. 1 का 7/40 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का 1/8 हिस्सा गैरसायल सं. 3 का 7/40 हिस्सा गैरसायल सं. 4 का 7/40 हिस्सा, गैरसायल सं. 5 का 7/40 हिस्सा, गैरसायल सं. 6 का 17/840 हिस्सा भूमि गैरसायल सं. 7 का 1/12 हिस्सा, गैरसायल सं. 8 का 1/14 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा वाद भूमि मुश्तरका खातेजात की भूमि है जिसमें सायल व गैरसायल सं. 9 गैरसायल सं. 1 के साथ अपना हक व हिस्सा दर्ज करवा खाता अलहदा–अलहदा करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायल व गैरसायल स0 9 को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 164/136 की कुल 21.2520 हैक्ट भूमि मे अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज 7/40 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुंतकिल न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी स0 1 उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में सायल के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है और उनके बाद सायल के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:57:39 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सके इसलिए अप्रार्थी स0 1 को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है एवं अन्य सह खातेदारान को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है खाता विभाजन एवं हकों की घोषणा मूल वाद में तय हाने है संयुक्त खातेदारान को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है लेकिन अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक है इसलिए सिर्फ अप्रार्थी स0 1 को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अप्रार्थी स0 1 द्वारा अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को आंशिक होगी।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति आंशिक साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 12 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 164/136 की कुल 21.2520 हैक्ट भूमि मे अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज 7/40 हिस्सा में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 17/10/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:57:39 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर